संख्या: 08 /2020/1610/तीस-1-2019-5(02)/2018

प्रेषक,

डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 26 फरवरी, 2020

विषय: जनपद-कौशाम्बी के मुख्यालय मंझनपुर में परिवहन निगम का बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-1060बी/डीए /पूर्व/19-55जेईटी/वि0/14-15, दिनांक 03.12.2019 एवं पत्र संख्या-1097बी/डीए/पूर्व/19-55जेईटी/वि0/14-15, दिनांक 16.12.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-26/2018/1133/तीस-1-2018-5(2)/2018, दिनांक 08.08.2018 द्वारा जनपद कौशाम्बी के मुख्यालय मंझनपुर में परिवहन का बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला के निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्याकंन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 857.86 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2018-19 में कतिपय शर्तों के अधीन प्रथम किश्त के रूप में रू0 400.00 लाख (रू0 चार करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी। इस प्रकार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अब तक कुल रू0 400.00 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की जा चुकी है । बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला मंझनपुर के निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0आर0एन0एस0एस0) कार्यदायी संस्था नामित है ।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 03.12.2019 द्वारा बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला, मंझनपुर के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन धनराशि रू0 1261.70 लाख का उपलब्ध कराया गया है। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रस्तावित लागत रू0 1261.70 लाख के सापेक्ष रू0 1235.94 लाख आंकलित की गयी है। परिवहन निगम के उक्त पत्र दिनांक 16.12.2019 प्रश्नगत परियोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 457.86 लाख स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला, मंझनपुर के निर्माण हेतु रू0 1235.94 लाख (रू0 बारह करोड़ पैंतीस लाख चौरानवे हजार मात्र) की आंकलित पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये, द्वितीय किश्त के रूप में रू0 457.86 लाख (रू0 चार करोड़ सत्तावन लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(5) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(7) प्रश्नगत प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
(8) प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव के अन्तर्गत डी0जी0 सेट, फिक्सड फर्नीचर, साइनेज, वाटर कूलर एवं पी0ए0 सिस्टम की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, जो बाट आउट श्रेणी का है। इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिडयूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: परिवहन निगम एवं कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ परिवहन निगम को होगा।

(10) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये जाने तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किसी भी दशा में कार्यो की लागत में कोई पुनरीक्षत न किये जाने के संबंध में अनुबन्ध अनिवार्य रूप से निष्पादित करा लिया जाय।

(12) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(13)निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा ।

(14) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा ।

(15) अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-26/2018/1133/तीस-1-2018-5(2)/2018, दिनांक 08.08.2018 के अनुरूप यथावत रहेंगी ।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

5- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशा0 संख्या-ई-9-161/दस/2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव।

संख्या: 08 /2020/1610(1)/तीस-1-2019-5(02)/2018तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ ।
5. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ ।
8. नियोजन अनुभाग-4 ।
9. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन ।
10. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।